रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 22 फरवरी, 1996/3 फाल्गुन, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

सूचना

शिमला-2, 26 दिसम्बर, 1995

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0एण्ड0आर0) (बी) (3) (6) 6/93.—मैसर्ज के0के0 रोपवेज़ लिमिटिड, चम्बाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने सोलन (चम्बाघाट) से करोल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में यात्रा आकाशी रज्जु मार्ग का निर्माण करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था ;

और राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का 7) की धारा 5 के अधीन इसके समसंख्यक पत्र तारीख 30 मार्च, 1994 मैसर्ज के0 के0 रोपवेज़ लिमिटिड जिसे इसमें इसके पश्चात् समप्रवर्तक कहा गया है को सोलन (चम्बाघाट) से करोल आकाशी रज्जू मार्ग के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी गई थी ;

और उक्त समप्रवर्तक ने उपरोक्त परियोजना के विस्तृत प्राक्कलन योजना (प्लान) इत्यादि डिजाईन प्रस्तुत कर दिए हैं और राज्य सरकार, उक्त विस्तृत डिजाईन की संवीक्षा के उपरान्त, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि

परियोजना का प्रस्तावित डिजाईन आई0 आर0 सी0 कोड की अपेक्षाओं के अनुरूप है और प्रयोग लाई जाने वाली निर्माण सामग्री भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड (बी0 आई0एस0) द्वारा अधिकथित विनिर्देश के अनुसार होगी;

और राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-5 में अधिकथित शर्तों पर विचार करने के पश्चात् और हिमाचल प्रदेश रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संप्रवर्तक को और शर्तों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित निबन्धों सोलन (चम्बाघाट) से करोल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में प्राधिकृत करने का प्रस्ताव करती है:—

(1) सम्प्रवर्तक हिमाचल प्रदेश रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 की धारा 7 के अधीन अन्तिम आदेश जिसे इसमें इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है के प्रकाशन के एक वर्ष के भीतर पूंजी जुटाएगा ;

(2) संप्रवर्तक रज्जु मार्ग के प्रतिष्ठान से सम्बन्धित सिविल कार्य, संयन्त्र और मशीनरी का कार्य अन्तिम आदेश के प्रकाशन के तुरन्त बाद शुरू किया जाएगा ।

(3) आकाशी रज्जू मार्ग का निर्माण अन्तिम आदेश के प्रकाशन के बाद 18 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ;

(4) संप्रवर्तक ऐसी रियायतों के लिए पात्र होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाए ;

(5) संप्रवर्तक राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मानक परिमाप और विनिदेशों के अनुरूप आकाशी रज्जू मार्ग का निर्माण करेगा । रचनात्मक डिजाईन निर्माण सामग्री को क्वालिटि सुरक्षा की बातें (फैक्टर) तथा भार का संगणना का ढंग उनके अनुरूप होंगे जो बातें (फैक्टर) तथा भार की संगणना का ढंग उनके अनुरूप होंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित किए गए हैं । परन्तु यदि स्थल की परिस्थिति के कारण परिमाप और विनिर्देशों में कोई विचलन जिसके अन्तर्गत टावर की ऊंचाई में 1500 मी0 से अधिक परिवर्तन भी आता है, संप्रवर्तक द्वारा यथास्थिति, रज्जू मार्ग निरीक्षक।विशेषज्ञ समिति की पूर्वानुमति से ही किया जाएगा ;

(6) संप्रवर्तक, सड़क तथा अन्य सार्वजनिक संचार साधनों के मार्गों के ऊपर से आकाशी रज्जु मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में यथा लागू नियमों का पालन करेगा ;

(7) संप्रवर्तक उपरोक्त आकाशी रज्जू मार्ग या उसके किसी भाग को राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचेगा, हस्तांतरित, पट्टे या उप-पट्टे पर नहीं देगा ;

(8) संप्रवर्तक आकाशी रज्जू मार्ग के संचालन में मुख्य रूप में विद्युत शक्ति का प्रयोग इस शर्त के अधीन रहते हुए करेगा कि विद्युत के फेल होने की दशा में संप्रवर्तक आकाशी रज्जू मार्ग के संचालन के लिए डीज़ल जैनेरेटिंग सैट हमेशा तैयार रखने का प्रबन्ध करेगा ;

(9) सप्रवर्तक विश्वस्त यन्त्र, उचित संकेत व्यवस्था, उचित डिजाईन फिक्सचर और संरचना, रज्जू, मशीनरी, गीयर तथा अन्य साधित्रों की व्यवस्था करेगा । संप्रवर्तक प्रतिदिन निरीक्षण करेगा कि क्या मशीनरी साधित्रों इत्यादि ठीक है और उनमें उचित रूप से ग्रीस और तेल लगया गया है;

(10) यदि आकाशी रज्जू मार्ग रेल लाईन के ऊपर से गुजरता है तो संप्रवर्तक रेल प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करेगा ;

(11) संप्रवर्तक आमद्ध अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत आने वाले आयुद्ध और गोला बारूद के सिवाए, यात्रियों को उनके सामान सहित जैसे कि ब्रीफ केस/अटैची/सूट केस/हैण्ड बैग इत्यादि को आकाशी रज्जू मार्ग से ले जाएगा ;

(12) संप्रवर्तक इस सूचना से संलग्न उपबधों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरें प्रभारित नहीं करेगा ;

(13) संप्रवर्तक आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक गारेंटी के रूप में 3,00,000/- रुपये (तीन लाख) प्रतिभूति सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम पर देगा। किसी शर्त के भंग की दशा में राज्य सरकार उसे समपहृत करने के लिए स्वतन्त्र होगी। प्रतिभूति के समपहरण का आदेश देने से पहले सचिव (लोक निर्माण विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार संप्रवर्तक को निश्चित रूप से 15 दिन के भीतर ऐसे भंग का सुधार करने के लिए कारण बताओ नोटिस देगी और यदि संप्रवर्तक सुधार करने और भंग के लिए समुचित स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है, तो राज्य सरकार, राज्य सरकार के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा अन्तिम आदेश जैसा यह उचित समझेगा दे सकेगी ;

(14) संप्रवर्तक ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्रारूप में, जैसे राज्य सरकार समय-समय पर विहित कर पूंजी राजस्व व्यय, प्राप्तियों और यातायात की विवरणियां राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ;

(15) यदि संप्रवर्तक उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी शर्त को भंग करता है या उपरोक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, या संप्रवर्तक उपरोक्त आकाशी रज्जु मार्ग को चलाने/संचालन करने में असफल रहता है तो राज्य सरकार आकाशी रज्जु मार्ग को सभी विल्लंगमों से मुक्त या अवक्षय वही मूल्य पर अधिग्रहित कर लेगी । यदि राज्य सरकार उक्त रज्जु मार्ग का अधिग्रहण करने का आशय नहीं रखती, तो स्थानीय प्राधिकरण उसके अवक्षय बही मूल्य पर संप्रवर्तक और स्थानीय प्राधिकरण के बीच परस्पर करार पाए गए मूल्य पर उसे खरीद सकेगा ;

(16) संप्रवर्तक निरीक्षक/विशेषज्ञ समिति या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सभी युक्तियुक्त समयों पर आकाशी रज्जु मार्ग का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात करेगा ;

(17) उपरोक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का कोई भी उल्लंघन आदेश की शर्तों का भंग माना जाएगा ; और

(18) यदि संप्रवर्तक और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह एक मात्र माध्यस्थम अर्थात् मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को माध्यस्थम के लिए निदेशित किया जाएगा उनका अधिनिर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों को बाध्य होगा। माध्यस्थम के समक्ष कार्यवाहियां माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के उपबन्धों द्वारा नियमित की जाएंगी ।

अतः अब राज्य सरकार पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चम्बाघाट से (करोल) सोलन, जिला सोलन तक प्रस्तावित आकाशी रज्जू मार्ग के सम्बन्ध में सभी हितबद्ध व्यक्तियों से आपेक्ष/सुझाव आमन्त्रित करती है। आपेक्ष/सुझाव यदि कोई हो तो सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार को, इस सूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर भेजे जाने चाहिए, सचिव (लोक निर्माण), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तावित रज्जु मार्ग के सम्बन्ध में उपरोक्त तारीख को या इससे पहले प्राप्त कोई आपेक्षों/सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन आदेश प्रकाशित करने से पूर्व विचार किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,
पी० एस० राणा,
वित्तायुक्त एवं सचिव (लोक निर्माण)

उपबन्ध-I

चम्बाघाट से (सोलन) करोल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के बीच लगाए जाने वाले आकाशी रज्जु मार्ग द्वारा यात्रियों को वहन करने के लिए संप्रवर्तक द्वारा प्रमाणित की जा सकने वाली अधिकतम दरों की सूची:—

क्रम संख्या	विवरण	दोनों तरफ की यात्रा के लिए अधिकतम दरें (रुपयों में)
1	2	3
1.	3 वर्ष से कम आयु के बच्चे	उन्हें छूट दी जानी है
2.	3 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे	25/–
3.	12 वर्ष से अधिक आयु के अन्य व्यक्ति	50/–

टिप्पण (1).—संप्रवर्तक, यात्रियों से हल्का सामान जैसे ब्रीफ केस, छोटे सूट केस और हाथ के बैगों आदि के लिए कोई प्रभार नहीं लेगा ।

टिप्पण (2).—संप्रवर्तक यात्रियों के भारी सामान भण्डारण के लिए सामान गृह का प्रबन्ध करेगा और उस सम्बन्ध में उन्हें समुचित रसीद जारी करेगा ।

टिप्पण (3).—उपरोक्त किराए की दरें दोनों तरफ की यात्रा के लिए यात्रियों से प्रभारित की जाएंगी ।

[*Authoritative English Text of this Government Notification No. PBW(B&R) (B)3(6)6/93, dated 26th December, 1995, as required under Article 348 of the Constitutionn of India*].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-171002, the 26th December, 1995

No. PBW(B&R) (B) 3(6)6/93.—Whereas M/s K. K. Ropeways Ltd. Chambaghat, District Solan (HP) had applied for permission to construct passenger ropeway from Solan (Chambaghat) to Karol, District Solan (HP);

And whereas the State Government *vide* its letter of even No., dated 30th March, 1994 had conveyed its sanction under section 5 of the Himachal Pradesh Aerial Ropesways Act, 1968 (Act No. 7 of 1969) in favour of M/s K. K. Ropeways Ltd. hereinafter called, "the promoter" for making necesary surveyes for the setting up of an aerial ropeway from Solan (Chambaghat) to Karol;

And whereas the said promoters have now submitted detailed estimates, plans and designs of the aforesaid project, and the State Government, after scrutiny of the said detailed designs etc. have concluded that the proposed designs of the project are inconformity with the requirements of the I.R.C. Codes and the material to be used will be according to the specifications laid down by the Bureau of Indian Standard (B.I.S.),

And whereas the State Government, after considering the conditions laid down in section 5 of the Act *ibid* and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 6 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 proposes to authorise the said promoter to construct aerial ropeway from Solan (Chambaghat) to Karol, District Solan (HP) subject to the following restrictions and conditions:—

(*i*) that the promoter shall raise the capital within one year of the publication of the final order under section 7 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter called "the order");

(*ii*) that the construction of civil works, plant and machinery connected with the ropeway installation shall start immediately after publication of the final order;

(*iii*) that the construction of the aerial ropeway shall be completed within a period of 18 months after the publication of final order;

(*iv*) that the promoter shall be eligible for such concessions as may be allowed by the State Government from time to time;

(*v*) that the promoter shall construct the aerial ropeway conforming to the standards, dimentions and specifications as approved by the State Government. The structural designs, quality of material, factor of safety, method of computing stresses shall be inconformity with those as laid down by the Bureau of Indian Standards. Provided that any deviation on the dimension and specification on account of site conditions including the change in the height of the tower beyond 15.00 metres, the promoter shall obtain the prior permission of the Inspector, Ropeway/Expert Committee at the case may be;

(*vi*) that the promoter shall follow the rules which are applicable in the State of Himachal Pradesh regarding construction of aerial ropeway over the roads and other publicways of communications;

(*vii*) that the promoter shall not sell, transfer, lease or sublet the aforesaid aerial ropeway or part thereof to any other person without the prior permission of the State Govt.;

(*viii*) that the promoter shall use electricity power as the main mode for operating the aerial ropeway subject to the condition that in case, the failure of electricity the promoter shall always keep stand by arrangements of diesel generating set for the operatin of aerial ropeway ;

(*ix*) that the promoter shall provide reliable devices. provisions for the signalling, suitable designed fixures and structures ropes, machinery, gear and other appliances. The promoter shall daily inspect whether the machinery appliances etc. are in order and properly greased and oiled regularly ;

(*x*) that the promoter shall obtain the permission from the railway authorities in case the aerial ropeway passes over the railway line;

(*xi*) that the promoter shall carry passengers with their luggage such as briefcase/attachee/suitcase/handbag etc. on the aerial ropeway except arms and ammunitions as covered under the Arms Act, 1959;

(*xii*) that the promoter shall not charge the rates higher than the rates approved by the State Goverament as per annexure-I annexed to this notice;

(*xiii*) that the promoter shall submit a security of Rs. 3.00 Lac (Three Lacs) in the shape of Bank Guaranttee from a nationalised Bank in the name of Secretary (PWD) to the Government of Himachal Pradesh for the due compliance of the conditions specified in the order. In the case of any breach of any condition, the State Government shall be at liberty to forfeit the same. Before ordering the forefeture of the security Secretary (P.W.) to the Government of Himachal Pradesh shall give show cause notice to the promoter to rectify the breach within 15 days positively and if the promoter fails to rectify and give suitable explanation for breach, the State Government may make final order as it may thi ik fit without prejudice to them other rights of the State Government;

(*xiv*) that the promoter shall submit to the State Government such returns of Capital and revenue expenditure, receipts and tariff at such interval and in such form as may be prescribed by the State Government from time to time ;

(*xv*) that in case the promoter commits any breach of any of the conditions specified above or acts *in contravention* of the provision of the Act *ibid* and rules framed thereunder or promoter fails to operate/run the aforesaid ropeway, the State Government may take over/resume the aerial ropeway free from all encumbrances or on such depreciated Book Value of the aerial ropeway. In case State Government do not intend to take over the said rop.way, the local authority may purchase the same on the depreciated Book Value or as may be mutually agreed between the local authority and the promoter;

(*xvi*) that the promoter shall allow the inspector/expert committee or their authorised representative to inspect the aerial ropeway at all reasonable times;

(*xvii*) that the contravention of any of the provisions of the Act *ibid* or rules framed thereunder shall be termed as a breach of condition of the order; and

(*xviii*) that if any dispute arises between the State Government and the promoter, the same shall be referred to the sole Arbitrator *i.e.* the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh whose decision shall be final and binding on both the parties. The proceedings before the Arbitrator shall be regulated by the provisions of Arbitration Act, 1940.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 6 of the Act *ibid*. the State Government hereby invite objection(s) in relation to the proposed aerial ropeway from Solan (Chambaghat) to Karol from all interested persons. The objections/ suggestions, if any, should be addressed to the Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh within three weeks from the date of publication of this notce in the Rajpatra, Himachal Pradesh. Any objection(s)/suggestion(s) with respect to the proposed ropeway received by the Secretary (PW) to the Government of Himachal Pradesh, State Government on or before the date specified above, the same shall be tahen into consideration by the State Government before the final order is made and published under section 7 of the Act *ibid*.

By order,

P. S. RANA.
F.C.-cum-*Secretary*.

ANNEXURE-1

Schedule of maximum rates which can be charged by the promoter for carrying passengers through the aerial ropeway to be installed between Chambaghat to Karol, District Solan (HP)

SCHEDULE

Sr. No.	Description	Maximum rates for both way journey in Rs.
1.	Children below the age of 3 years	They are to be exempted.
2.	Children from 3 to 12 years of age	25
3.	Other persons over the age of 12 years	50

Note-1. The promoter shall not charge any thing for the small luggage like brief case/ small suitcase and Handbags etc. from the passengers.

Note-2. The promoter shall provide a luggage room for storing the bigger luggage of the passengers and shall issue proper receipt to them in that respect.

Note-3. The above rates of fair shall be charged from passengers for both way journey.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।